उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-210/2021/सा0-2278/23-1-21-03सा0/21टीसी-2

लखनऊ:: दिनांक 28 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विभिन्न जनपदों के सेतुओं/मार्गों का नामकरण किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-900/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 09.09.2021 तथा कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-407/ सेतु-नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 14.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है-

क्र.	जनपद	परियोजना/सेतु का नाम	नामकरण
1	अलीगढ़	अलीगढ़-रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-105) लम्बाई 44.00 कि0मी0	" कल्याण सिंह मार्ग"
2	झांसी	झांसी-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर सीपरी अधोगामी सेतु के ऊपर रेल उपरिगामी सेतु	"डा0 विश्वनाथ शर्मा रेल उपरिगामी सेतु"

गिरिजेश कुमार त्यागी

विशेष सचिव।

संख्या-210/2021/ सा0-2278(1)/23-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़/झांसी।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. अधीक्षण अभियंता(नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।